<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 22/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 21.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना सादात पुलिस टीम द्वारा लूट का शातिर अपराधी को लूटी गयी 01 अदद सिकडी(चेन) व घटना कारित में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.05.2025 को थानाध्यक्ष सादात मय हमराह द्वारा अभियुक्त मनीष यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष के पास से थाना अन्तर्गत पचई पट्टी से बिजरवा के मध्य लूटी गयी 01 अदद सिकडी(चेन) व घटना कारित में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस के साथ बरेहता पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 309(4) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1 .मनीष यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष

<u>बरामदगी–</u>

1 .एक अदद मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस काले रंग की

2. 01 अदद सिकडी(चैन) पीली धातु की

3 .01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-</u>

1 .मु0अ0स0-95/2023 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना तरवा जनपद आजमगढ

2 .मु0अ0स0-260/2022 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना तरवा जनपद आजमगढ

3 .मु0अ0स0-106/2022 धारा-323/504/506 भा0द0वि0 थाना भुड़कुड़ा गाजीपुर

4 .मु0अ0स0-236/2024 धारा-115(2)/140(2)/308(5)/317(2)/351(3) बीएनएस व 65/66/66C आईटी एक्ट थाना सैदपुर गाजीपुर

5 . मु0अ0स0-238/2025 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

6 .मु0अ0स0- 62/2025 धारा- 309(4) /319(2)/318(4)/338/336(2)/340(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना सादात गाजीपुर

02. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा हत्या की षड़यन्त्रकारी मु0अ0सं0. 84/2025 धारा 103(1),61(2) बीएनएस से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक करीमुद्दीनपुर श्री विरेन्द्र कुमार बरवार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0. 84/2025 धारा 103(1),61(2) बीएनएस से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्ता को ग्राम डेहमा से अभियुक्ता के घर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

1. उषा देवी पत्नी शिवजी गिरी निवासी ग्राम डेहमा थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

03. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।"

दिनांक 21.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -687/2017 धारा 354,323,504,506,452 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त इसरार अहमद उर्फ बबलू पुत्र मुहम्मद इस्लाम निवसी मुबारखपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 354 भादवि में 04 वर्ष कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 8000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 452 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया।

04. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।"

दिनांक 21.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -88/2019 धारा 498A,304B भादवि ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 1 .संदीप पटेल पुत्र रामप्रवेश 2 .रामप्रवेश पटेल पुत्र रामप्रसाद 3 .रामशीला पत्नी रामप्रवेश निवासीगण ग्राम परसदा थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त संदीप पटेल को धारा 304B भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामप्रवेश पटेल एवं रामशीला को धारा 304B भादवि में प्रत्येक को 07-07 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया , दोषसिद्ध अभियुक्तगण संदीप पटेल ,रामप्रवेश पटेल एवं रामशीला को धारा 498A भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा तीन- तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , धारा ¾ डीपी एक्ट में उक्त सभी अभियुक्तगगणों को एक -एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पाँच- पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

<u>05. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.05.2025 को उ0नि0 भगवती सिंह मय हमराह थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर द्वारा मा0 न्यायालय सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट मुहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा फौ0वा0सं0 500/18 धारा 337,452,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टीगण 1 .ओम प्रकाश पुत्र ईश्वर जायसनवाल उम्र 32 वर्ष नि0ग्राम कामूपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर 2 . राजकुमार जायसवाल उर्फ छोटू पुत्र ईश्वर जायसवाल उम्र 26 वर्ष नि0ग्राम कामूपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –</u>

1 .ओम प्रकाश पुत्र ईश्वर जायसनवाल उम्र 32 वर्ष नि0ग्राम कामूपुर थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर

2 . राजकुमार जायसवाल उर्फ छोटू पुत्र ईश्वर जायसवाल उम्र 26 वर्ष नि0ग्राम कामूपुर थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर